आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :फूलपुर
वाद संख्या :-5659/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202030205659
राधा रमण रघुनन्दन प्रसाद लोक सेवा एवं शिक्षा ट्रस्ट बनाम गावसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नकल आदेश

प्रस्तुत वाद राधा रामण रघुनन्दन प्रसाद लोक सेवा एवं शिक्षा ट्रस्ट 1सी/1, बी0के0 बनर्जी मार्ग नया कटरा शहर प्रयागराज द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी राबेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र राधा रमण मिश्रा निवासी तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ जिसमें कहा गया है कि वादी ग्राम तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज की आराजी सं0 627/1 रकबा 1.8260हे0 व आराजी सं0 626/1 रकबा 1.3700हे0 का 1/4 अंश यानी रकबा 0.7990हे0 व आराजी सं0 626मि0 रकबा 0.2280हे0 भूमि का जरिये बैनामा कय किया है और मौके पर संकमणीय भूमिधर काबिज दखील है। वादी आराजी सं0 627/1 रकबा 1.8260हे0 व 626/1 रकबा 1.3700हे0 में से रकबा 0.7990हे0 व 626मि0 रकबा 0.2280हे0 यानी कुल रकबा 1.0270हे0 भूमि को अकृषिक कराना चाहता है। अपने उक्त भूमि के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराकर भवन निर्माण करा रहा है। वादी द्वारा ग्राम तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के खाता सं0 65 की आराजी सं0 627/1 रकबा 1.8260हे0 व खाता सं0 63 आराजी सं0 626/1 रकबा 1.3700हे0 व खाता सं0 175 आराजी सं0 626मि0 रकबा 0.2280हे0 में से 1.0270हे0 यानी 10270वर्गमीटर भूमि को व्यवसायिक/अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किये जाने की याचना किया है। नियमानुसार सी0ओ0 चकबन्दी से से जांच आख्या आहूत की गई। सी0ओ0 चकबन्दी ने अपनी जांच आख्या में कहा गया है कि ग्राम तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज की आराजी सं0 627/1 रकबा 1.8260हे0 व 626/1 रकबा 1.3700हे0 कुल दो गाटा रकबा 3.1960हे0 में से क्षेत्रफल 0.7990हे0 व गाटा सं0 626मि0 रकबा 0.2280हे0 सम्पूर्ण यानी कुल क्षेत्रफल 1.0270हे0 को बैनामा प्रार्थी द्वारा कराया गया है। नामान्तरण आदेश खतौनी के खाता सं0 65, 63 व 175 पर अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने अपने ट्रस्ट के नाम से कय की गयी भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाता है बल्कि भूमि पर बाउन्ड्रीवाल व राधा रामण रघुनन्दन प्रसाद लोक सेवा एवं शिक्षा ट्रस्ट का भवन निर्माणाधीन है। सी0ओ0 चकबन्दी द्वारा ग्राम तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के खाता सं0 65 पर अंकित गाटा सं0 627/1 रकबा 1.8260हे0 व खाता सं0 63 गाटा सं0 626/1 रकबा 1.3700हे0 में से 0.7990हे0 व खाता सं0 175 गाटा सं0 626मि0 रकबा 0.2280हे0 यानी कुल रकबा 1.0270हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। वादी ने अपने समर्थन में वर्तमान उद्धरण खतौनी 1422–1427फ0 व

BarCode

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :फूलपुर
वाद संख्या :-5659/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202030205659
राधा रमण रघुनन्दन प्रसाद लोक सेवा एवं शिक्षा ट्रस्ट बनाम गावसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ट्रेजरी चालान संख्या G400009 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा मु0 1000रू0 उदघोषणा शुल्क व 45600रू0 का कोर्ट फीस स्टाम्प व 1359रू0 का खसरा व सम्बन्धित आराजी की फोटो व शपथपत्र सहखातेदारों की सहमति पत्र देकर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि चकबन्दी अधिकारी फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा ग्राम तुलापुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर प्रयागराज के खाता सं0 65 पर अंकित गाटा सं0 627/1 रकबा 1.8260है0 व खाता सं0 63 गाटा सं0 626/1 रकबा 1.3700है0 में से 0.7990है0 व खाता सं0 175 गाटा सं0 626मि0 रकबा 0.2280है0 यानी कुल रकबा 1.0270है0 भूमि को उ0प्र0राजस्व संहिता–2006 की धारा 80(2) के तहत अकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाता है। चकबन्दी अधिकारी फूलपुर की जांच आख्या दिनांक 02.07.2022 आदेश का अंग होगा। परवाना अमलदरामद जारी हो । आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अम्बरीश कुमार बिन्द)
उपजिलाधिकारी, फूलपुर
प्रयागराज।

TRUE COPY
Reader S.D.M./S.D.O.
Phulpur, Prayagraj

Date of Application 4-7-22
Date of Notice 4-7-22
Date of issue 5-7-22
No. of Words 210
Reader To S.D.M./S.D.O.
Phulpur Allahabad

पृष्ठ संख्या :